सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 04, गुरूवार, *शाके* 1947- अप्रेल 24, 2025 *Vaisakha 04, Thursday, Saka 1947- April 24, 2025*	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 23, 2025

संख्या F.2(02)UDH/SIKAR/2019 :-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सख्या 15) की धारा 90-क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.02.2020 को प्रत्याहरित करते हुए एतद्द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012 दिनांक 06.02.2014 के अनुसार निम्नांकित सारणी के कॉलम 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारी के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारी को अन्य नगर सुधार न्यासों की भांति कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती हैः-

क्र.सं.	स्थानीय निकाय का नाम	अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1	नगर सुधार न्यास, सीकर	सचिव , नगर सुधार न्यास, सीकर

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,
शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।